

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

सभी जिला उपायुक्त।

यादि क्रमांक 16/3/2020-4प्रो0

दिनांक चण्डीगढ़

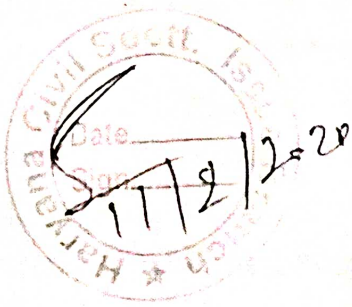
विषय:-

शुभ्र ज्योत्सना स्कीम 2018 के तहत कारावास में रहे प्रार्थियों के आवेदन पत्रों से सम्बन्धित दस्तावेजों में जेल सर्टिफिकेट की चैकलिस्ट के अनुसार कार्य किए जाने बारे।

उपरोक्त विषय पर के संदर्भ में।

2. आपको अनुरोध किया जाता है कि विष्योक्त स्कीम के तहत आवेदनों से सम्बन्धित दस्तावेजों की पूर्ण रूप से जांच करके निम्न चैकलिस्ट में दर्शाए गए बिन्दुओं अनुसार ही कार्यालय में आवेदन भेजे:-

1. जेल सर्टिफिकेट प्रपोज्ड डिस्पेच न0. तारिख तथा उसकी एक-एक प्रति डी.सी./सी.एस. हो भी होनी चाहिए। (फोटो समेत)
2. सह जेल के मामलों में सह-जेली का जेल प्रमाण-पत्र व सम्बन्धित एम.पी./एम.एल.ए. के हस्ताक्षर सील/मोहर सहित, तारिख सहित होना चाहिए। (फोटो समेत)
3. यदि कैदी भिन्न-भिन्न धाराओं में जेल गया हो तो उन मामलों का पुलिस कलन्दरा देखना/सलंगन करना उचित रहेगा या कोर्ट आदेश की प्रति होना।



[Signature]
अधीक्षक, प्रोटोकॉल,

कृते: मुख्य सचिव हरियाणा सरकार

[Signature]
11/12/2020